न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/55

मिसल नम्बर– 79 / 2025

मीरा बाई अडवानी पत्नी स्व0 श्री मोती लाल अडवानी आयु 70 वर्ष निवासी मकान नं0 ए 10 कृष्णा नगर गली नं0 07 बजरंग नगर कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

जयश्री लुहाना पत्नी नरेश कुमार अडवानी निवासी मकान नं0 ए 10 कृष्णा नगर गली नं0 07 बजरंग नगर कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/02/2026

उपस्थिति:–

1.श्री संजय गर्ग प्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आयु लगभग 70 वर्ष है तथा प्रार्थीया एक वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थीया व उसका पुत्र एवं पुत्र वधु के साथ इसी निवास स्थान पर निवास करते है तथा प्रार्थीया गम्भीर रोगों पेरालाईसिस, शुगर, बी०पी0 व गठिया रोग की मरीज है। प्रार्थीया के परिवार में एक पुत्र, पुत्र वधु व उसकी दो नातनी है जो सभी एक ही परिवार में ही निवास करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीया, प्रार्थीया की ज्येष्ठ पुत्रवधु है। प्रार्थीया ने अपने पुत्र नरेश कुमार आडवानी का दूसरा विवाह अप्रार्थीया के साथ दिनांक 29.11.2023 को किया था तथा विवाह के वक्त अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया व उसके परिवार को यह बताया था कि उसके पूर्व पति पवन लुहाना का निधन हो चुका है तथा वह विधवा महिला है। अप्रार्थिया के पूर्व पति पवन लुहाना से एक पुत्र है जिसकी वर्तमान में आयु –16 वर्ष है जिसका साथ लेकर अप्रार्थीया आई थी तथा उसके पालन–पोषण एवं शिक्षा–दिक्षा की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में प्रार्थीया के पुत्र पर दबाव बना कर गलत प्रकार से दस्तावेज की रचना करवाई। अप्रार्थीया को प्रार्थीया के पुत्र नरेश के नुत्फे से दिनांक 04 / 10 / 2024 को एक पुत्र को जन्म दिया जो वर्तमान में दस – ग्याराह माह का है। जनवरी 2025 से आप्रार्थीया हर महिने पीहर जाने का कह कर तीन– चार दिन के लिये पीहर चली जाया करती थी तथा दूधमोहे नवजात बच्चे को छोड़ कर चली जाती। जिससे बच्चे का पालन पोषण भी नही हो पाता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तथा बच्चा माँ के दूध से भी वचित रहता पड़ता और इस दौरान बच्चे की समस्त देखभाल बीमार प्रार्थीया व उसके पुत्र नरेश अड़वानी को करनी होती जिससे प्रार्थीया को घोर मानसिक व शारिरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसके अलावा घर पर रहने के दौरान भी बच्चे का खयाल सही ढंग से नही रखती थी। बमुश्किल बीमार प्रार्थीया व उसका पुत्र नरेश उसकी देखभाल करता था। अप्रार्थिया प्रारम्भ से ही काफी अभद्र और करता पूर्ण आचरण करने लगी तथा ऐनकेन प्रकरेण प्रार्थीया व उसके पुत्र के मध्य व्यवन्यस्ता पैदा कर समस्त आय स्वयं के कब्जे में करने का प्रयास करने लगी इनता ही नही बीमार प्रार्थीया की देखभाल करने की बजाये बार–बार हर माह पीहर का बहाना बना कर दिन–चार दिन के लिए छोटे बच्चे को छोड़ कर जयपुर जाने पर प्रार्थीया द्वारा अपने रिश्तेदारों व मिलने वालों के माध्यम से पता किया तो पता चला कि अप्रार्थीया का पूर्व पति पवन मरा नही है बल्कि जिन्दा है तथा अप्रार्थीया ने उसके उपर धारा 498ए, घरेलू हिंसा व खर्चा प्राप्त करने के केस जयपुर में कर रखे है तथा पूर्व पति से 10 हजार रुपये मासिक भत्ता ले रही है। अप्रार्थीया ने झूठ बोलकर तथा तथ्यों को छुपा कर प्रार्थीया के पुत्र से दूसरा विवाह किया है। उसके पश्चात् पौछले दो तीन माह से अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थीया व उसके परिवार के साथ खराह हो गया है तथा अप्रार्थीया ने का कोई भी खाना बनाना बन्द कर दिया है। तथा प्रतिदिन 10–11 घण्टे घर से निकल जाती है तथा शाम को 5–6 बजे लोटती है। पुनः कुछ समय रुकने के बाद दौबारा 2–3 दिन के लिये चली जाती है। छोटे बच्चे की देखभाल बीमार प्रार्थीया द्वारा जैसे तैसे की जाती है। साथ ही प्रार्थीया का पूत्र तलवडी कोटा में एक दूकान चलाता है। उसका बार–बार भाग कर घर आना पड़ता है तथा प्रार्थीया व बच्चे का ध्यान व सार संभाल करनी पड़ती है। पीछले कई माह से अप्रार्थीया, प्रार्थीया व उसके पुत्र नरेश का खाना भी नही बनाती है अपना खना बना कर व खाकर चली जाती है जिसके सारे खर्चे का वहन प्रार्थीया के पुत्र द्वारा ही वहन किया जा रहा है। अप्रार्थीया द्वारा पति तथा दुधमोहे बच्चे के दायित्वों का निर्वाहन नही किया जा रहा है। तथा कोई काम भी कहने पर अप्रार्थीया, प्रार्थीया से गाली गलोच व लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारु हो जाती है तथा प्रार्थीया को भला–बूरा कहने के साथ झूठे मुकृदमों में फंसा देने की धमकीयों देती है। दिनांक 12/09/2025 को रात– 9 बजे के आस–पास जैसे ही प्रार्थीया का पुत्र दुकान से घर पहुँचा तो अप्रार्थीया ने लड़ाई–झगड़ा व गाली–गलोच करना शुरु कर दिया तथा भरा बुरा कहने लगी जिससे प्रार्थीया की तबीयत बिगड गई क्यों कि प्रार्थीया गम्भीर बीमारीयों से ग्रहस्ति चली आ रही है। प्रार्थीया के पुत्र नरेश ने अप्रार्थीया को कई बार चूप करने की कोशिश की पर वह नही मानी तथा दोनों को गंदी–गंदी गालियां देने लगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक को अप्रार्थीया से जीवन सूरक्षा व सरंक्षण प्रदान करते हुए अप्रार्थीया के विरूद्ध आदेश जारी किया जाये कि अप्रार्थीया, प्रार्थीया के निवासीय परिसर में ना तो प्रवेश करे और ना ही किसी प्रकार प्रार्थीया को शारिरिक एवं मानसिक रुप से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रताड़ित करने का प्रयास करे और ना ही प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कारित करने का प्रयास करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय प्राथीया को प्रदान करना उचित समझे वह भी प्रार्थीया को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बावजूद सूचना अप्रार्थी उपस्थित नही हुई। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान नं0 ए 10 कृष्णा नगर गली नं0 07 बजरंग नगर कोटा राज0 में प्रवेश ना करने बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीया के साथ मारपीट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा एवं अभ्रद व्यवहार नही करे, उक्त मकान में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा